[2022] 15 एस. सी. आर. 649

ए.

एन. एस. मदनगोपाल और ए. एन. आर. बनाम

के. ललिता

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1759) 10 अक्टूबर, 2022

[एस**.** अब्दुल नजीर और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.294(ख), 341-जब आकर्षित नहीं किया जाता है-समाज में अपशिष्ट जल के अत्यधिक प्रवाह पर पक्षों के बीच मौखिक विवाद-प्रत्यर्थी द्वारा अपराधों के लिए दायर शिकायत।294(ख), 341-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपीलार्थीगण द्वारा दायर आवेदन-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःशिकायत में केवल इतना ही कहा गया है कि अपीलार्थी ने वादी की ओर असंसदीय शब्द फेंके -s.294 (b) अश्लील कृत्यों और गीतों के बारे में बात करता है-अश्लीलता का परीक्षण।294(ख) यह है कि क्या अश्लीलता के रूप में आरोपित मामले की प्रवृत्ति उन लोगों को भ्रष्ट और भ्रष्ट करने की है जिनके दिमाग ऐसे अनैतिक प्रभावों के लिए खुले हैं-केवल अश्लील शब्दों का उच्चारण पर्याप्त नहीं है-यह स्थापित करने के लिए और सबूत होना चाहिए कि यह दूसरों की झुंझलाहट के लिए था, जिसका वर्तमान मामले में अभाव है-केवल अपमानजनक, अपमानजनक या मानहानिकारक शब्द अपने आप में अपराध को आकर्षित नहीं कर सकते हैं।294(ख)-वर्तमान मामले में, यौन विचारों या भावनाओं या शब्दों को जगाने वाले कुछ कामुक तत्वों को शामिल करने वाले शब्दों की अनुपस्थिति अपराध को आकर्षित नहीं कर सकती है।294(ख)-किसी ने भी अश्लील शब्दों के बारे में बात नहीं की-कानूनी साक्ष्य के अभाव में यह दर्शाता है कि अपीलार्थीगण द्वारा कहे गए शब्द दूसरों को नाराज करते हैं, अपराध के घटक यू/एस।294(ख) नहीं बनाया गया-इसके अलावा, शिकायत में दिए गए कथन गलत तरीके से रोकने के अपराध का गठन करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। 341 – अपीलार्थीगण के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया जैसा कि वादी ने आरोप लगाया है-विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है-लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस.482, 190(1),204.

जी.

दंड संहिता, 1860-एस. एस.294(ख) 341-अश्लीलता का परीक्षण यू/एस।294(बी); गलत तरीके से रोकने के अपराध का गठन करने के लिए सामग्री।341 – चर्चा की।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-ss.190(1), 204 – आयोजित किया गयाः यू/एस द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेना।190(1) और प्रक्रिया का मुद्दा

एच.

649 ए.

650 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 15 एस. सी. आर.

यू/एस।204 न्यायिक कार्य हैं और न्यायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है-प्रक्रिया जारी करने से पहले अदालत के समक्ष सामग्री के लिए न्यायिक दिमाग का आवेदन किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए आधार है-यदि शिकायत में लगाए गए आरोप बहुत अस्पष्ट और सामान्य हैं, तो शिकायत के आधार पर प्रक्रिया जारी करने का मजिस्ट्रेट का आदेश उचित नहीं होगा क्योंकि प्रक्रिया जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री होनी चाहिए।

पी. टी. चाको बनाम नैनन 1967 के. एल. टी. 799-अनुमोदित।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1759।

मद्रास उच्च न्यायालय के सीआरएल में 01.04.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश से। 2019 का ओ. पी. सं. 5627।

एस. वल्लीनायगम, एम. ए. चिन्नासामी, सुश्री सी. रुबावती, सी. राघवेंद्रन, एम. वीरा राघवन, सुश्री काजल सिंघल, राजीव गुप्ता, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

डॉ. जुल्फिकार अली खान, सुश्री के. भुवनेश्वरी, सुश्री आर. सरला, मो. शाहिद अनवर, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

ओ आर डी ई आर

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में "आई. पी. सी".) की धारा 295 (बी) और 341 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए तमिलनाडु के अलंदूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दर्ज की गई शिकायत में मूल आरोपी संख्या 1 और 2 के जवाब के निर्देश पर है और मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा 1 अप्रैल, 2022 को 2019 के Crl.O.P.No.5697 में पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी (मूल शिकायतकर्ता) द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था।उच्च न्यायालय ने अंततः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (संक्षेप में "द Cr.P.C") के तहत अपीलार्थीगण द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

जी.

3. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि इस मुकदमे के पक्षकार सदगोपन एन्क्लेव, कन्नप्पन स्ट्रीट, क्रोमपेट रोड, नानमंगलम, चेन्नई नामक एक सामान्य अंतःक्षेत्र में रह रहे हैं।

एच.

651

एन. एस. मदनगोपाल और ए. एन. आर. बनामके. ललिता ए

ए.

इसमें प्रत्यर्थी मूल वादी ने अलंदूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 2018 का एक आवेदन दायर किया और Cr.P.C की धारा 156 (3) के तहत पुलिस अनुसंधान के आदेश के लिए या Cr.P.C की धारा 200 के तहत संज्ञान लेने का अनुरोध किया। घटना के दुर्भाग्यपूर्ण दिन, समाज में अपशिष्ट जल के अत्यधिक प्रवाह के मुद्दे पर पक्षों के बीच मौखिक बहस हुई।

4. हम यहाँ प्रत्यर्थी द्वारा दर्ज की गई पूरी शिकायत को देख चुके हैं।हमने प्रत्यर्थी (मूल शिकायतकर्ता) की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता से हमें शिकायत के उस हिस्से में ले जाने के लिए कहा जो एक अपराध है।दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 244 (बी) और 341 के तहत दंडनीय अपराध करने का खुलासा करने वाली शिकायत में आवश्यक अभिकथन।

5. उपरोक्त संदर्भ में, शिकायत के निम्नलिखित अनुच्छेदों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है जो निम्नानुसार हैं:-

“3. वादी विनम्रता से प्रस्तुत करती है कि उसे सदगोपन एन्क्लेव रेजिडेंट्स एसोसिएशन के लिए 15.08.2017 पर खजांची के रूप में चुना गया है जो एक पंजीकृत संगठन है और अध्यक्ष, सचिव और चार कार्यकारी सदस्यों के साथ समाज के कल्याण के लिए काम कर रहा है।

4. वादी आगे प्रस्तुत करता है कि निवासियों को प्रमोटरों द्वारा जल्द से जल्द सीवेज उपचार संयंत्र, जिम, किड्स प्ले पार्क, सड़कें आदि के बारे में वादा किया गया है।अब इस परियोजना के आठ साल पूरे हो चुके हैं और अभी भी सात घर पंजीकृत नहीं हुए हैं।यह अपशिष्ट जल पिछले आठ वर्षों से भूमि मालिकों और आसपास की भूमि में जा रहा है।दो साल पहले उत्तर की ओर आस-पास के भूमि मालिक ने अपशिष्ट जल के प्रवाह पर आपत्ति जताई थी, जिसने प्रवाह को नियंत्रित करने और इसे केवल भूमि मालिकों की भूमि पर रखने का निर्णय लिया था।भूमि मालिकों ने जे. बी. सी. की मदद से अपनी भूमि खोदने के लिए आई. डी. 1 के पदाधिकारियों को स्वीकार कर लिया था और अपशिष्ट जल उक्त भूमि में चला गया था।

जी.

5. वादी ने आगे कहा कि वर्तमान पदाधिकारी को अपशिष्ट जल के अत्यधिक प्रवाह के बारे में सेप्टिक टैंक से सटे निवासियों से लगातार और लगातार शिकायत मिली है और उक्त पदाधिकारी ने मिट्टी में 21 गोल सीमेंट पत्थरों का उपयोग करके पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने की कोशिश की है और अधिकतम पानी का प्रवाह बाहर जा रहा है।लेकिन उक्त निवासियों ने

एच.

वे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और वॉट्सऐप में बताया कि सेप्टिक टैंक के कारण सरीसृप उनके घर आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहते हैं।पिछले पदाधिकारियों की सोसायटी बैठकों में, एस. टी. पी. उद्धरण 35 लाख है जिसे सोसाइटी के सदस्यों यानी निवासियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

6. वादी आगे यह बताता है कि सेप्टिक टैंक से सटे प्लॉट नंबर 7 एफ के निवासी ने एसटीपी क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्य को समतल करने और बनाने की कोशिश की है और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की गई थी और सामान्य एसटीपी क्षेत्र में रखी गई थी, इसका सभी निवासियों ने विरोध किया था, लेकिन उक्त निवासी ने तर्क दिया है कि वह पीड़ित व्यक्ति है और उसके कानूनी दस्तावेजों के अनुसार उसके पास वहां जमीन है।वर्तमान पदाधिकारियों ने जवाब दिया कि सभी निवासियों के निर्माण समझौते के अनुसार, कोई भी इमारत की ऊंचाई बाहरी रंग योजना को नहीं बदलेगा, और निर्माण किए जाने वाले फ्लैट को बदलेगा या बदलने की अनुमति देगा।लेकिन उक्त निवासी ने पुलिस की सलाह के बाद भी सामग्री को हटाने से इनकार कर दिया।उक्त निवासी ने पुलिस अधिकारियों (श्री एलंगो) से अपशिष्ट जल के प्रवाह के बारे में शिकायत की है और बाद में उक्त पुलिस अधिकारी ने अधिकारियों को पीवीसी पाइप बिछाकर अपशिष्ट जल भेजने की सलाह दी।अगले दिन यानी 16.04.2018 4 बजे:30 शाम को, जब पीवीसी पाइप बिछाने का काम चल रहा था, तो निवासियों ने उसी के बारे में पूछताछ की और बाद में भूमि मालिकों में से एक, श्री मदनगोपाल ने श्रमिकों के प्रति असंसदीय शब्द बोले।इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सुश्री ललिता (खजांची) को इस बारे में सूचित किया।वह मौके पर पहुंची और उक्त भूमि मालिक ने एक बार फिर असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया और उसे पीटने के लिए तैयार हो गया।सुरक्षाकर्मियों और कार्यकर्ताओं ने सुश्री ललिता की रक्षा की और उनके पास कोई छुट्टी नहीं थी क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था।पुलिस को सूचित किया गया कि श्री मदनगोपाल ने असंसदीय शब्द बोले थे और इस तरह के बयान को स्वीकार किया था जिसके कारण श्री मदनगोपाल, उनकी पत्नी सुश्री सुशीला, उनकी चचेरी बहन सुश्री सरला (जो सदगोपन एन्क्लेव के बाहर रहती थीं), श्री पार्थ दास, उनकी पत्नी सुश्री लोपामुद्रा और श्री वेंकटेश के खिलाफ 17.04.2018 पर पुलिस शिकायत दर्ज की गई।”

जी.

[] इस प्रकार, शिकायत में केवल इतना ही कहा गया है कि अपीलार्थी मदनगोपाल ने वादी के प्रति असंसदीय शब्द फेंके।

एच.

653

एन. एस. मदनगोपाल और ए. एन. आर. बनामके. ललिता ए

ए.

6. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 295 (बी) अश्लील कृत्यों और गीतों के बारे में बात करती है।भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 295 समग्र रूप से इस प्रकार हैः

“294.अश्लील हरकतें और गीत-जो भी हो, दूसरों को परेशान करने के लिए -

(क) किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कार्य करता है, या

(ख) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके पास कोई अश्लील गीत, गाथा या शब्द गाना, पढ़ना या बोलना, किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन महीने तक बढ़ सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।”

7. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आई. पी. सी. की धारा 295 (बी) के तहत अश्लीलता की परीक्षा यह है कि क्या अश्लीलता के रूप में आरोपित मामले की प्रवृत्ति उन लोगों को भ्रष्ट और भ्रष्ट करना है जिनके दिमाग ऐसे अनैतिक प्रभावों के लिए खुले हैं।पी. टी. चाको बनाम नैनान (1967 के. एल. टी. 799) में न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू द्वारा लिखित निर्णय (जैसा कि उनके लॉर्डशिप को तब बताया गया था) के निम्नलिखित अंश इस प्रकार बताते हैंः

“एकमात्र मुद्दा यह था कि प्रथम अभियुक्त ने उपर्युक्त शब्दों का उच्चारण करके भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 295 (बी) के तहत दंडनीय अपराध नहीं किया है।निचली अदालतों ने माना है कि बोले गए शब्द अश्लील थे और इस कथन से जनता को झुंझलाहट हुई।मैं इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए तैयार नहीं हूँ।क्वीन बनाम हिकलिन, [एल. आर.] 3 क्यू. बी. 360 में 371 कॉकबर्न सी. जे. में 'अश्लीलता' की परीक्षा को इन शब्दों में प्रस्तुत किया गया हैः

“.....अश्लीलता की परीक्षा यह है कि क्या अश्लीलता के रूप में आरोपित मामले की प्रवृत्ति उन लोगों को भ्रष्ट और भ्रष्ट करना है जिनके दिमाग ऐसे अनैतिक प्रभावों के लिए खुले हैं। उच्चतम न्यायालय ने रंजीत डी. उदेशी मामले में परीक्षण के सुधार को स्वीकार कर लिया है।

बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 881।सैमुअल रोथ में

वी.यू. एस. ए., 354 यू. एस. 476 (1957) में, मुख्य न्यायाधीश वारेन ने कहा कि 'अश्लीलता' की परीक्षा 'कामुकता को जगाकर भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त दस' है।न्यायमूर्ति श्री हार्लन ने कहा कि 'अश्लील' होने के लिए मामले को 'यौन रूप से अशुद्ध विचारों की ओर

प्रवृत्त होना चाहिए।'मुझे नहीं लगता कि इस मामले में बोले गए शब्दों में ऐसी प्रवृत्ति है।यह हो सकता है कि शब्द वादी के लिए मानहानिकारक हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शब्द 'अश्लील' हैं और यह कथन आई. पी. सी. की धारा 295 (बी) के तहत दंडनीय अपराध होगा।

जी.

एच.

8. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उदाहरण के मामले में, यौन विचारों या भावनाओं या शब्दों को जगाने वाले कुछ कामुक तत्वों को शामिल करने वाले शब्दों की अनुपस्थिति धारा 295 (बी) के तहत अपराध को आकर्षित नहीं कर सकती है।किसी भी रिकॉर्ड में आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए कथित शब्दों का खुलासा नहीं किया गया है।यह कानून की आवश्यकता नहीं हो सकती है कि सभी मामलों में पूरे अश्लील शब्दों को पुनः प्रस्तुत किया जाए यदि यह लंबा है, लेकिन तत्काल मामले में, रिकॉर्ड पर शायद ही कुछ है।केवल अपमानजनक, अपमानजनक या मानहानिकारक शब्द अपने आप में आईपीसी की धारा 295 (बी) के तहत अपराध को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 295 के तहत अपराध को साबित करने के लिए केवल अश्लील शब्दों का उच्चारण पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह स्थापित करने के लिए एक और सबूत होना चाहिए कि यह दूसरों को परेशान करने के लिए था, जिसका मामले में अभाव है।किसी ने भी अश्लील शब्दों के बारे में बात नहीं की है, वे नाराज महसूस करते हैं और यह दिखाने के लिए कानूनी सबूत के अभाव में कि अपीलार्थीगण द्वारा अभियुक्तों द्वारा कहे गए शब्दों ने दूसरों को नाराज किया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 295 (बी) के तहत अपराध के तत्व बनाए गए हैं।

9. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 341 गलत तरीके से रोकने के लिए सजा के बारे में बात करती है।धारा 341 इस प्रकार हैः

“341. गलत तरीके से रोकने के लिए सजा-जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है, उसे एक महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।”

10. शिकायत गलत तरीके से रोकने के अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा करने में भी विफल रहती है।धारा 341 के आवेदन को आकर्षित करने के लिए, जो गलत तरीके से रोकने के लिए सजा का प्रावधान करती है, यह साबित करना होगा कि अभियुक्त द्वारा बाधा डाली गई थी; (ii) ऐसी बाधा किसी व्यक्ति को उस दिशा में आगे बढ़ने से रोकती थी जिसके लिए उसे आगे बढ़ने का अधिकार था; और (iii) अभियुक्त ने स्वेच्छा से ऐसी बाधा उत्पन्न की।अवरोधक का इरादा होना चाहिए या उसे पता होना चाहिए या उसके पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि अपनाए गए साधन वादी के लिए बाधा पैदा करेंगे।

11. हमारे अनुसार शिकायत में किए गए कथन गलत तरीके से रोकने के अपराध के रूप में भी पर्याप्त नहीं हैं।मामले के समग्र दृष्टिकोण से, हम आश्वस्त हैं कि वादी द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार अपीलार्थीगण के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है।

जी.

12. आई. डी. 1 की धारा 190 (1) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेना और धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी करना न्यायिक कार्य हैं और इसके लिए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।यह एक प्रस्ताव है जो न केवल ए पर आधारित है

एच.

ठोस तर्क लेकिन न्याय के मौलिक सिद्धांतों पर भी आधारित है, एक व्यक्ति के रूप में जिसके खिलाफ किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, उसे प्रक्रिया के मुद्दे द्वारा किसी भी उत्पीड़न के लिए नहीं रखा जा सकता है।प्रक्रिया जारी करने से पहले न्यायालय के समक्ष सामग्री पर न्यायिक दिमाग का आवेदन किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई आधार है।जब शिकायत में लगाए गए आरोप अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराध का कोई भौतिक विवरण दिए बिना बहुत अस्पष्ट और सामान्य पाए जाते हैं तो शिकायत के आधार पर प्रक्रिया जारी करने का मजिस्ट्रेट का आदेश उचित नहीं होगा क्योंकि प्रक्रिया जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री होनी

चाहिए।हमें खुद संदेह है कि क्या शपथ पर मूल वादी का सत्यापन भी संज्ञान लेने और जारी करने की प्रक्रिया से पहले दर्ज किया गया था।

13. परिणामस्वरूप, विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलंदूर, तमिलनाडु की अदालत में लंबित 2018 की एसटीएस संख्या 566 की आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया जाता है।इसलिए, अपील सफल होती है और तदनुसार अनुमति दी जाती है।

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

जी.

एच.